बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)

(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in

TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN-U40102 BR 202 SGC 018889

संकल्प सं0 2825 पटना/ दिनांक– 13/08/19

T-I/Alleg-EEE-36028/19

सुश्री चंचल कुमारी, टेकनीशियन ग्रेड–3, लाईन संधारण अवर प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा श्री सुनील कुमार कोमल, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध दिनांक–12.04.2019 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सम्बोधित लिखित यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) संबंधित आरोप लगाया गया। आरोप की गंभीरता को देखते हुए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–2193 दिनांक–03.12.2018 से गठित महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति द्वारा मामले की गहन जॉच कराई गई।

उक्त समिति द्वारा दिनांक–18.04.2019 को संचरण प्रमंडल, जहानाबाद जा कर आरोपो की जॉच की गई। समिति के द्वारा सुश्री रिंकी कुमारी, कनीय अभियंता, संचरण लाईन संधारन अवर प्रमंडल, जहानाबाद एवं उस कार्यालय में पदस्थापित अन्य कर्मियों का बयान दर्ज किया गया। इन सभी कर्मियों द्वारा श्री सुनील कुमार कोमल, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध एवं आरोप के समर्थन में बयान दर्ज किया गया।

कंपनी स्तर पर गठित महिला शिकायत निवारण समिति के जॉच के पूर्व विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, गया के निर्देश पर इस धटना की संचरण अंचल, गया के अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यस्थल पर महिला कर्मियों के साथ यौन उप्पीड़न को रोकने एवं दोषी व्यक्यिों को दंड देने हेतु गठित महिला शिकायत निवारण समिति द्वारा भी कराया गया था, जिसमे समिति द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि श्री सुनील कुमार कोमल दोषी है तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है।

महिला शिकायत निवारण समिति, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा दिनांक–23.04.2019 एवं दिनांक–29.04.2019 को सुनवाई की गई। सुनवाई के दरम्यान दोनो हीं पक्षो को अपना– अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा अपने पत्रांक–95 दिनांक–01.06.2019 द्वारा सभी सुसंगत अभिलेखो सहित जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समिति के द्वारा यह पाया गया कि श्री कोमल के द्वारा गलत तरीके से साक्ष्य तैयार कर घटना

स्थल से अपनी अनुपस्थिति प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि श्री कोमल का अपने अधीनस्थ कर्मियों विशेष कर महिला कर्मियों के साथ दमनकारी एवं मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने का व्यवहार रहा है। श्री कोमल द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों का ACR खराब करने आदि का धमकी देते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था जिसके कारण कर्मियों की बीच भय का महौल व्याप्त था। जॉच प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न सभी सुसंगत अभिलेखों की समीक्षा की गई तथा श्री कोमल के विरूद्व लगाये गए यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) संबंधित आरोप प्रमाणित पाये गये है। अभिलेखो से यह भी प्रतीत होता है कि श्री कोमल के विरूद्ध लगाये आरोपों से बचने के लिए उनके द्वारा संचरण प्रमंडल, जहानाबाद में पदस्थापित कर्मियों से Backdating करते हुए कारण पृच्छा निर्गत की गई है तथा अधीनस्थ कर्मियों के ACR खराब करने की धमकी तक दी गई है। श्री कोमल का उक्त आचरण सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल है तथा घोर अनुशासनहीनता का द्योतक है।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या–173–177 Medha Kotwal Lele & Otheres vrs UOI & Others मामले में दिनांक–26.04.2004 को पारित आदेश में महिला शिकायत निवारण समिति के जॉच प्रतिवेदन को Enquiry report का दर्जा प्रदान करने का आदेश पारित किया गया है।

अतएव महिला शिकायत निवारण समिति, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सुनील कुमार कोमल, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, जहानाबाद, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय– संचरण अंचल, कोसी (मधेपुरा) से द्वितीय कारण पृच्छा पूछने का निर्णय लिया गया । तदनुसार इस कार्यालय के संकल्प संख्या 1968 दिनांक 24.06.19 ज्ञापांक 1969 दिनांक 24.06.19 के द्वारा महिला शिकायत निवारण समिति के प्रतिवेदन (जिसमें सभी गवाहों के बयान का प्रश्न एवं उत्तर के रुप में उल्लेख किया गया है) संलग्न करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई। इसे निबंधित डाक से उनके निलंबन अवधि में मुख्यालय– संचरण अचंल, कोशी, मधेपुरा के पते पर भेजी गयी, परन्तु डाकिया द्वारा लिखित रुप में यह सूचित किया गया है कि वे कार्यालय में अनुपस्थित पाये गये तथा मोबाईल पर उनसे संपर्क करने पर यह सूचित किया गया कि "हम नही लेना चाहते है"। इस प्रकार उनके द्वारा पत्र लेने से इनकार कर दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–2308 दिनांक–18.07.2019 के द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, कोशी सहरसा के माध्यम से उनको उक्त संकल्प संख्या–1968 दिनांक–24.06.2019 को तामिला कराया गया। इस प्रसंग में उनके द्वारा दिनांक 29.07.2019 को आवेदन समर्पित करते हुए कतिपय अभिलेखों की मांग की गई, जिसके आलोक में पत्रांक–2640 दिनांक–01.08.2019 के द्वारा दिनांक 07.08.2019 को महाप्रबंधक (म०सं० / प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के कार्यालय कक्ष में आकर वांछित अभिलेखों का अवलोकन करने हेतु

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा ई–मेल/WhatsApp/निबंधित डाक के माध्यम से उन्हे संसूचित किया गया। उक्त के आलोक में श्री कोमल को दिनांक–07.08.2019 को महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0) के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर संबंधित संचिका एवं सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन कराया गया।

श्री कोमल द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का अंतिम जवाब दिनांक 09.08.2019 को कार्यालय मे समर्पित किया गया है। इस अंतिम द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव में श्री कोमल द्वारा कोई नया तथ्य अथवा विचारणीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः महिला शिकायत निवारण समिति, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना(महिला शिकायत निवारण समिति, संचरण अंचल, गया के प्रतिवेदन तथा श्री कोमल के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा के आलोक में समर्पित जवाब की समीक्षा की गई, समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाए गएः–

(1) विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, गया कार्यालय स्तर पर गठित जॉच समिति के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में भी श्री कोमल पर लगाए गए आरोप को सही प्रतीत पाया गया है।

(2) कंपनी स्तर पर गठित समिति के जॉच प्रतिवेदन में सुश्री चंचल कुमारी, तक0 कोटि–3, लाईन संचरण अवर प्रमण्डल, जहानाबाद द्वारा श्री कोमल के उपर लगाए गए आरोप को प्रमाणित पाया गया।

(3) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका 03 के उपकंडिका 04 में निहित प्रावधानों के अंतगर्त श्री कोमल के विरुद्ध कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का मामला बनता है।

(4) श्री कोमल का व्यवहार अपने अधीनस्थ कर्मियों विशेषकर महिला कर्मियों के प्रति दमनकारी एवं मानसिक रूप से उत्पीडित करने का रहा है।

(5) श्री कोमल के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से पूछे गए स्पष्टीकरण आदि के लिए कार्यालय में Back dating करना तथा गलत तथ्य देना कि वे हुलासगंज में थे, यह जालसाजी एवं गलत मंशा से किये गये कृत्य को दर्शाता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सुश्री चंचल कुमारी, तक0 कोटि–3, लाईन संचरण अवर प्रमण्डल, जहानाबाद द्वारा श्री सुनील कुमार कोमल, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमण्डल, जहानाबाद सम्प्रति निलंबित के उपर लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि श्री कोमल के द्वारा बहुत हीं गंभीर किस्म का कुकृत्य किया गया है, जिसमें घोर अनुशानसनहीनता, कदाचार, महिला कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार एवं यौन उत्पीड़न जैसे मामले सही प्रमाणित पाए गए हैं।

अतएव उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा उन्हें **"सहायक विद्युत अभियंता (मूल कोटि) के पद पर पदावनत "** करने का दण्ड प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार श्री सुनील कुमार कोमल, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, जहानाबाद, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संचरण अंचल, कोसी (मधेपुरा) को सहायक विद्युत अभियंता (मूल कोटि) के पद पर पदावनत करने का दण्ड प्रदान किया जाता है। साथ ही उन्हें निलम्बन अवधि में भुगतान किये गये जीवन यापन भत्ता के अलावा अन्य कोई भुगतान नही किया जाएगा परन्तु निलम्बन अवधि में बिताई गई अवधि की गणना सेवोत्तर लाभ हेतु की जाएगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री सुनील कुमार कोमल, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, जहानाबाद, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संचरण अंचल, कोसी (मधेपुरा) को उपलब्ध कराई जाये।

आदेशानुसार

(आर० एन० लाल)
महाप्रबंधक (मा० सं० / प्रशा०)

ज्ञापांकः– 2825 दिनांक– 13/08/19

प्रतिलिपिः– श्री सुनील कुमार कोमल, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, जहानाबाद, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संचरण अंचल, कोसी (मधेपुरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आर० एन० लाल)
महाप्रबंधक (मा० सं० / प्रशा०)

ज्ञापांक - 2826 दिनांक - 13/08/19

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान आप्त सचिव / निदेशक (मा०सं०) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग)कंपनी लि० / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लि० / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर०एन०लाल)
महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०)

13/08/19

ज्ञापांक 2826 पटना/ दिनांक 13/08/19

प्रतिलिपिः— निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी मुख्य अभियंता, संचरण/सभी महाप्रबंधक सह—मुख्य—अभियंता, संचरण जोन/उपमहाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)/उप सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/उपमहाप्रबंधक (जन—सम्पर्क)/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल/डटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर/प्रशासी पदाधिकारी/ सभी लेखा पदाधिकारी /लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से अनुरोध है कि इसे कंपनी के बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

13/8

(आर0 एन0 लाल)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

13/08/19